संख्या-17/2017/4668/71-2-16-एस-43/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2017

विषय:- पी0एल0ए0 में जमा धनराशि के आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या-2151/ई/यूपीयूएमएस/वित्त एवं लेखा/2016-17, दिनांक 10 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1438/71-2-16-एस-43/2015 दिनांक 31-03-2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि में अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि के आहरण की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

क्र0	संस्था का नाम	पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	1900.00
2	पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय।	200.00
	योग-	2100.00

1- शासनादेश संख्या-3839/71-2-16-एस-43/2015, दिनांक 26-12-2016 के अनुालन में पी0एल0ए0 से आहरित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त आहरित धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जिन कार्यो के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य मदों में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि का उपयोग जिन कार्यो के लिए किया जाना है उसका गुण दोष एवं वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा तथा विशिष्टियां, मानक तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी।

4- उपकरण क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तो, वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त आहरित धनराशि का उपयोग समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर शासन/वित्त विभाग को अवगत कराया जाय।

6- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3/200/दस-2017 दिनांक 21 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

D:\Mishra\suresh sir work\mangal go 2016

संख्या-17/2017/4668(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी, इटावा।
3. कोषाधिकारी, इटावा ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उ0प्र0आयु0वि0वि0, सैफई इटावा।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनु. 2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।